भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *68

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भूमिका

***68. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की औसत संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) इस केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विशेष द्वारा क्या-क्या कार्य किए जाते हैं;

(ग) क्या बहु-कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक ही समय में अलग-अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता पर इस व्यवस्था की चुनौतियां और प्रभाव क्या हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भूमिका" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अधिदेश के अनुसार, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा एक आंगनवाड़ी सहायिका और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री होती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्री की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अनुलग्नक में दी गई हैं।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की पोषण भी पढाई भी पहल 10 मई 2023 को शुरू की गई थी ताकि आंगनवाड़ी प्रणाली में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और आंगनवाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों वाले शिक्षण केंद्र में बदला जा सके जिससे दिव्यांग बच्चों सहित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यकर्त्रियों अर्थात राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पूरे देश में एक द्विस्तरीय कार्यान्वयन मॉडल, अर्थात प्रशिक्षण कैस्केड का पालन किया जा रहा है। पोषण भी पढाई भी प्रशिक्षण में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को वर्ष 1 और वर्ष 2 में एक बार बुनियादी ईसीसीई और पोषण प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाता है, अर्थात राउंड 1 और इसके बाद एक बार फिर वर्ष 3 में गहन विस्तृत प्रशिक्षण अर्थात के लिए राउंड 2 ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने पोषण भी पढाई भी कार्यक्रम के तहत दो पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क- "नवचेतना- जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, 2024" और "आधारशिला- तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024" तैयार किया है।

जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए "नवचेतना" का उपयोग समग्र प्रारंभिक उत्प्रेरण के लिए उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों तथा बच्चों के इष्टतम शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए किया जाता है। 36 महीनों के लिए मासिक आयु आधारित गतिविधियाँ

चलायी जाती हैं जो घर के भीतर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में सभी संपर्क बिंदुओं के माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। इसमें घर का दौरा, मासिक बैठकें, समुदाय-आधारित कार्यक्रम आदि शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

आम तौर पर तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं, जहां "आधारशिला" का उपयोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 (एनसीएफ-एफएस) के अनुसार विकास/शिक्षण के सभी क्षेत्र के लिए किया जाता है, जिसमें भौतिक/मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक, सांस्कृतिक/सौंदर्य के साथ-साथ सकारात्मक आदतें भी शामिल हैं। इसमें एक साप्ताहिक कैलेंडर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 36 सप्ताह की सक्रिय शिक्षा, 8 सप्ताह की सुदृढीकरण और 4 सप्ताह की आरंभिक शिक्षा के साथ-साथ एक सप्ताह में 5+1 दिन की खेल-आधारित शिक्षा और एक दिन में तीन तरह के कार्यकलाप शामिल हैं। यह कार्यकलापों के संयोजन के लिए प्रदान करता है, इसमें अलग-अलग कार्यकलाप चलाये जाते हैं जिनमें केंद्र में और घर पर, इनडोर और आउटडोर, बाल-आधारित और शिक्षक-आधारित कार्यकलाप शामिल हैं। प्रत्येक कार्यकलाप में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के रूप में एमडब्ल्यूसीडी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययन के लिए स्वदेशी खिलौनों के विकास एवं उपयोग को अत्यधिक महत्व दिया है। सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत विज़न के हिस्से के रूप में स्वदेशी खिलौनों/लोककथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा देने के लिए जोड़ा गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री सृजन कार्यशालाओं के भाग के रूप में डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) खिलौना किटों के निर्माण पर विस्तृत दिशा-निर्देश सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्धारित मासिक ईसीसीई दिवसों के आयोजन और पीएसई किट की व्यवस्था करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा माता-पिता और समुदाय के साथ मिलकर आयोजित किये जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का उल्लेख है ताकि बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करने एवं जीवन कौशल प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे जहां उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है वहीँ चल रही

सभी कार्यकलापों की तत्काल निगरानी की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, पोषण ट्रैकर में ईसीसीई मॉड्यूल को भी शामिल किया गया है।

****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की भूमिका" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण-

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(i) समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पोषण ट्रैकर ऐप में नियमित आधार पर संबंधित लाभार्थी के डेटा फीड करना और यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट/रिटर्न तैयार/जमा करना।

(ii) सभी बच्चों का प्रत्येक माह वजन करना, ग्रोथ कार्ड पर वजन को ग्राफिक रूप से दर्ज करना, माताओं/बच्चों के मामलों को उप-केंद्रों/पीएचसी इत्यादि में रेफर करने के लिए रेफरल कार्ड का उपयोग करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का चाइल्ड कार्ड रखना तथा मेडिकल और पैरा-मेडिकल कर्मियों के पास जाने से पहले इन कार्डों को प्रस्तुत करना।

(iii) सभी परिवारों का वर्ष में कम से कम एक बार त्वरित सर्वेक्षण करना, विशेष रूप से उन परिवारोंका जिनमें माताएं और बच्चे हैं तथा माताओं को स्तनपान और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी व्यवहारों पर स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा तथा परामर्श प्रदान करना।

(iv) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में अनौपचारिक प्री-स्कूल गतिविधियों का आयोजन करना तथा आंगनवाड़ी केंद्र में उपयोग के लिए स्वदेशी खिलौने और खेल उपकरण डिजाइन करने और बनाने में सहायता करना।

(v) आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाली गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाने में सहायता करना तथा सूचना को ग्राम स्तर के अधिकारी के साथ साझा करना, जो जन्म रजिस्ट्रार को सूचित करता है।

(vi) कार्यक्रम के स्वास्थ्य घटक जैसे टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जांच इत्यादि के कार्यान्वयन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों की सहायता करना, आईएफए एवं विटामिन ए की खुराक देने में एएनएम की सहायता करना तथा गृह दौरों के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और मामले को तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र को भेजना।

(vii) सभी राज्यों एवं पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के आकांक्षी जिलों में किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के कार्यान्वयन में सहायता करना तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम/अभियान इत्यादि आयोजित करके किशोरियों एवं उनके अभिभावकों तथा समुदाय को प्रेरित करना।

*****